मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 44–4/2019/20–2 भोपाल दिनांक 15/12/2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश.
3. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

विषयः–शिक्षण सत्र 2020–21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालययों के प्रारंभ एवं संचालन करने बाबत।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2020 द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रखे जाने एवं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु माता–पिता/अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आने की अनुमति प्रदान की गई है।

2/ गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनॉक 30.09.2020 के आधार पर कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश दिनॉक 28.11.2020 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

2.1 बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे।

2.2 विद्यालय विद्यार्थियों को इस रीति से आमन्त्रित कर सकेगा कि विद्यालय मे विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो ताकि एस. ओ. पी. का पालन किया जा सके। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता–पिता/अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।

2.3 कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

2.4 समय–समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाईन/ दूरस्थ शिक्षण अध्यापन की महत्वपूर्ण पद्वति के रूप में बना रहेगा। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से पढना चाहते है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

निरन्तर...2...

2.5 प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत–प्रतिशत उपस्थित होंगे।

2.6 छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासो को खोले जाने की अनुमति नही होगी। आवासीय विद्यालय डे–स्कूल के रूप में खोले जा सकेगें।

2.7 विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियाँ, खेलकूद, स्वीमिंग पूल इत्यादि गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।

3/ यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो, बसो/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और बसो/अन्य परिवहन वाहनो का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

4/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
15/12/2020
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रं./म.प.सं.सं./ अकादमिक/2020/ 1820 भोपाल दिनांक 17/12/2020

समस्त प्राचार्य/प्रबंधक शासकीय/अशासकीय संस्कृत विद्यालय/परामपरागत संस्कृत विद्यालय शासन आदेशानुसार कक्षाएँ संचालित करने संबंधी कार्यावाही की जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभातराज तिवारी)
निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
म.प्र.भोपाल